

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (जी-231) अलेसे- I/828-835

दिनांक:- 21/07/22

आदेश

श्री गजेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (लिनंक नं० 8578) ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री गजेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का नाम परिवर्तित कर, "श्री गजेन्द्र कुमार" के स्थान पर "श्री गजेन्द्र सिंह" करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (जी-231) अलेसे- I/828-835

दिनांक:- 21/07/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, जोधपुर (शहर)।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
4. अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर, संभाग-प्रथम, जोधपुर।
5. श्री गजेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, पता-18ए, करणी बाग, हाईकोर्ट कॉलोनी के सामने, जोधपुर।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)